



भारतीय दंत परिषद

(दंत चिकित्सक अधिनियम, 1948 के तहत स्थापित एक सांविधिक निकाय)
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन
DENTAL COUNCIL OF INDIA
(A STATUTORY BODY CONSTITUTED UNDER THE DENTISTS ACT, 1948)
UNDER MINISTRY OF HEALTH & FAMILY WELFARE, GOVERNMENT OF INDIA



No.DCI/ARPM/ARC/ARM/Gen/167/2022-23/2022/6953

Dated: 11-10-2022

To,

The Principals/Heads of all the Dental Colleges in the Country. (via Email & Speedpost)

Sub: भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय के दिशा-निर्देशों के कार्यान्वयन एवं शैक्षणिक संस्थानों में रैगिंग के खतरे को रोकने के उपायों के लिए डीसीआई विनियम, 2009 की धारा 12.1 के अनुसार दंत महाविद्यालयों में रैगिंग के खतरे को रोकने वाली सूचना को 31.10.2022 तक डीसीआई की वेबसाइट पर अपलोड करने के संबंध में

Sub: **MEASURES FOR CURBING THE MENACE OF RAGGING IN EDUCATIONAL INSTITUTIONS – IMPLEMENTATION OF DIRECTIONS OF HON'BLE SUPREME COURT OF INDIA - information as per section 12.1 of DCI Regulations on Curbing the Menace of Ragging in Dental Colleges, 2009 to be uploaded on DCI website by 31.10.2022 – Regarding.**

महोदय/महोदया,

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि दंत महाविद्यालयों में रैगिंग के खतरे को रोकने के लिए डीसीआई विनियम, 2009 के अनुसार, यह सुनिश्चित करना सभी संस्थाओं की जिम्मेदारी है कि उनके दंत चिकित्सा संस्थान में रैगिंग की कोई घटना न हो और इसे रोकने के लिए किए गए उपायों की समीक्षा की जाए।

2. उक्त विनियम की धारा 11.3 के अनुसार संस्था के अधिकारी/प्रबंधन (ट्रस्ट, सोसायटी आदि), विशेष रूप से संस्था के प्रमुख यह सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होंगे कि संस्था में रैगिंग की कोई घटना न हो। यदि रैगिंग की कोई घटना होती है, तो प्रबंधन/प्रमुख उस व्यक्ति (व्यक्तियों) के खिलाफ तुरंत और उचित कार्रवाई करेंगे, जिनके कर्तव्य में लापरवाही से घटना हुई है। ऐसे में संस्था के प्रमुख की नियुक्ति के लिए नामित प्राधिकारी प्रमुख के खिलाफ तुरंत और उचित कार्रवाई करेगा।

3. सभी दंत चिकित्सा संस्थानों को शैक्षणिक वर्ष के शुरू होने से पहले और साथ ही सत्र के बीच में साइनबोर्ड, पैम्फलेट आदि के माध्यम से रैगिंग के खिलाफ विज्ञापन जारी करना चाहिए। आपसे यह भी अनुरोध है कि आप अपने संस्थानों के सभी छात्रों को एक पुस्तिका जारी करें, जिसमें रैगिंग के बारे में विवरण हो, रैगिंग के दंडनीय अपराधों, रैगिंग के लिए दंड एवं सजा, एंटी रैगिंग स्क्वॉड, एंटी रैगिंग समिति(एंटी रैगिंग हेल्पलाइन), वार्डन, पुरुष और महिला छात्रावास के उप वार्डन के सदस्यों के नाम और मोबाइल नंबर का विवरण दिया गया हो।

4. सभी दंत चिकित्सा संस्थान अपने किसी भी संकाय सदस्य (सदस्यों) को फ्रेशर और वरिष्ठ छात्रों के बीच समन्वय करने के लिए "काउंसलर" के रूप में नामित करेंगे ताकि रैगिंग के खतरे को रोकने के लिए छात्रों (परामर्शदाताओं) के बैचों को दिन-प्रतिदिन की समस्याओं के बारे में नियमित रूप से बताया जा सके या समझाया जा सके और उन्हें रैगिंग के खतरे को रोकने में उनकी भूमिका को संवेदनशील बनाया जा सके।

5. आपसे यह भी अनुरोध है कि बीडीएस/एमडीएस/पीजी डिप्लोमा/पैरा डेंटल कोर्स या डीसीआई द्वारा अनुमोदित/मान्यता प्राप्त किसी अन्य कोर्स में पढ़ने वाले सभी विद्यार्थियों (प्रथम वर्ष से अंतिम वर्ष) और उनके माता-पिता/अभिभावकों से एंटी रैगिंग पर ऑनलाइन (www.antiraging.in/www.amanmovement.org) माध्यम से वचनपत्र (अंडरटेकिंग) प्राप्त करने और उसे फाइल करने का अनुरोध किया जाता है।

6. उपरोक्त के अलावा, यहां यह भी उल्लेख करना उचित है कि संबंधित विनियम की धारा 12.1 के अनुसार, प्रत्येक संस्थान पिछले शैक्षणिक सत्र के संबंध में प्रत्येक वर्ष 31 अक्टूबर तक अपनी रिपोर्ट निर्धारित प्रारूप (अनुलग्नक- II) सचिव, भारतीय दंत परिषद, ऐवान-ए-गालिब मार्ग, कोटला रोड, नई दिल्ली-110002, इसके प्रत्येक कॉलम में सामने दर्शायी गयी अपेक्षित जानकारी को प्रस्तुत करेगा और ऐसा न होने पर, भारतीय दंत परिषद, दंत महाविद्यालयों में रैगिंग के खतरे को रोकने संबंधी विनियम, 2009 की धारा 11.4 के अनुसार, उस पर निम्नलिखित में से कोई एक या एक से अधिक संयोजन के साथ दंड लगाएगा :-

11.4.1 दंत चिकित्सक अधिनियम, 1948 की धारा 16ए के तहत संस्था के खिलाफ मान्यता रद्द करने की प्रक्रिया शुरू करना।

11.4.2 संस्था की प्रवेश क्षमता को उस सीमा तक कम करना जिस सीमा तक परिषद उचित समझे।

11.4.3

अगले आदेश तक संस्था में आगे प्रवेश पर रोक लगाना।

11.4.4 यूजी/पीजी डेंटल कोर्स के नवीनीकरण की अनुमति को रोकने के लिए।

11.4.6 सभी संबंधितों की जानकारी के लिए डीसीआई की वेबसाइट पर संबंधित संस्थान पर लगाए गए दंड के संबंध में जानकारी पोस्ट करने के लिए।

7. इसके अलावा, आपको यह भी सूचित किया जाता है कि डीसीआई ने उपरोक्त आकड़ों की कुशलता से जांच करने के लिए और कागजी कार्रवाई को कम करने के लिए डीसीआई कि वेबसाइट पर अपेक्षित जानकारी/दस्तावेजों को अपलोड करने के लिए, डीसीआई ने एक ऑनलाइन मॉड्यूल विकसित किया है। तदनुसार, डीसीआई की कार्यकारी समिति ने अपने दिनांक 13.10.2018 को नई दिल्ली में आयोजित अपनी बैठक में निर्णय लिया है कि दंत महाविद्यालयों में रैगिंग के खतरे को रोकने के लिए डीसीआई विनियम, 2009 के अनुसार आवश्यक सभी आवश्यक सूचना/दस्तावेजों को डीसीआई वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा और सूचना/दस्तावेजों की किसी भी हार्ड कॉपी को डाक द्वारा प्राप्त या ई-मेल द्वारा भेजने पर डीसीआई द्वारा विचार नहीं किया जाएगा।

8. उपरोक्त के संबंध में, मुझे आपसे अनुरोध करने का निर्देश हुआ है कि शैक्षणिक सत्र 2022-2023 के लिए निर्धारित प्रारूप (डीसीआई विनियमों में निर्धारित अनुलग्नक- II) में मांगी गई अपेक्षित जानकारी को कृपया 31.10.2022 तक डीसीआई की वेबसाइट पर अपलोड करें, जैसा कि भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा नियुक्त निगरानी समिति के अनुरोध के अनुसार उक्त जानकारी को अपलोड करना आवश्यक है। यदि जानकारी डीसीआई की वेबसाइट पर 31.10.2022 तक अपलोड नहीं की जाती है, तो दोषयुक्त संस्थान/महाविद्यालय का नाम उक्त निगरानी समिति को उचित कार्रवाई के लिए भेजा जाएगा, जैसा कि उक्त निगरानी समिति द्वारा उचित और सही समझा जाए, और उनके नाम डीसीआई की वेबसाइट पर भी अपलोड किए जाएंगे।

9. कृपया इसे 'अति तत्काल' समझा जाए।

10. भारतीय दंत परिषद् किसी भी प्रकार की रैगिंग के कृत्य को कर्तव्य बदार्शत नहीं करती है और इस नीति का सभी संस्थाओं/दंत महाविद्यालयों में अनुपालन सुनिश्चित करती है।

Sir/Madam,

I am directed to say that as per DCI Regulations on Curbing the Menace of Ragging in Dental Colleges, 2009, it is the responsibility of all the institution to ensure that no incident of ragging takes place in their dental institution and measures taken to curb it may be reviewed.

2. As per section 11.3 of the aforesaid regulations, the authorities/Management (Trust, Societies, etc.) of the institution, particularly the Head of the institution, shall be responsible to ensure that no incident of ragging takes place in the institution. In case any incident of ragging takes place, the Management/Head shall take prompt and appropriate action against the person(s) whose dereliction of duty lead to the incident. The authority designated to appoint the Head shall, in its turn, take prompt and appropriate action against the head.

3. All dental institutions should issue advertisements against ragging through signboards, pamphlets etc. before the commencement of academic year as well as during the midst of the session. You are also requested to issue booklets to all the students of your Institutions containing the details about what constitutes ragging, punishable ingredients of ragging, punishments and penalty for ragging, names and mobile numbers of the members of the Anti Ragging Squad, Anti Ragging Committee (Anti Ragging Helpline), Wardens, Deputy Wardens of Men's and Women's hostel.

4. All dental Institutions shall designate any of their faculty member(s) as "Counsellor" for fresher and senior students to co-ordinate the batches of students (Counsellees) regularly about day-to-day problems and also to sensitize their role in curbing the menace of ragging.

5. You are further requested to obtain and file undertaking, on anti ragging, from all parents/guardians and students (1st year to final year) studying in BDS/MDS/PG Diploma/Para Dental Courses or any other course approved/recognised by DCI, online through www.antiragging.in / www.amanmovement.org.

6. Besides above, it is also pertinent to mentioned here that, as per section 12.1 of subject regulations, each and every institution shall submit its reports in prescribed format (Annexure-II) to the Secretary, Dental Council of India, Aiwan-E-Galib Marg, Kotla Road, New Delhi-110002, by 31st October of every year in respect of the previous academic session, indicating the requisite information against each column thereof, failing which the Dental Council of India, as per section 11.4 of Regulations on Curbing the Menace of Ragging in Dental Colleges, 2009, shall impose any one or any combination of the following penalties on it:-

- 11.4.1 To initiate the derecognition process against the institution under section 16A of the Dentists Act, 1948.
- 11.4.2 To reduce the admission capacity of the institution to the extent to which the Council deem fit.
- 11.4.3 To stop further admission in the institution till further orders.
- 11.4.4 To stop renewal of permission in respect of UG/PG Dental Courses.
- 11.4.6 To post the information regarding penalties so imposed on the concerned institution on the website of DCI for information of all concerned.

7. Further, it is also to inform you that the DCI has developed an online module to upload the requisite information / documents on DCI website to reduce the paper work and to scrutiny the above data efficiently, accordingly, the Executive Committee of the DCI in its meeting held on 13.10.2018 at New Delhi has decided that the all the requisite information / documents required as per DCI Regulations on Curbing the Menace of Ragging in Dental Colleges, 2009, shall be uploaded on DCI website and any hard copy of information /documents received by Post or sent by E-mail shall not be considered by DCI.

8. In view of the above, I am directed to request you that the requisite information in the prescribed format (Annexure-II as prescribed in DCI Regulations) for the academic session 2022-2023 may kindly be uploaded on DCI website by 31.10.2022, positively, as the said information is required to be uploaded as per request of the Monitoring Committee appointed by the Hon'ble Supreme Court of India. In case the information is not uploaded by 31.10.2022 on DCI website, the name of defaulting institution will be forwarded to the said Monitoring Committee for such appropriate action as may be deemed fit and proper by the said Hon'ble Monitoring Committee, and their names will also be uploaded on DCI Website.

9. This may kindly be treated as 'Most Urgent'.

10. The Dental Council of India ensures Zero Tolerance against ragging of any sort.

Yours faithfully,

(Mukesh Kumar)
Deputy Secretary
Dental Council of India

Copy for information to:-

1. श्रीमान सचिव, भारत सरकार, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय,, (via Email)

(स्वास्थ्य विभाग-डीई अनुभाग),,

निर्माण भवन, मौलाना आजाद रोड,,

New Delhi, Delhi - 110011.

secyhfw@nic.in

जानकारी हेतु।

2. श्रीमान उप सचिव (एचई-सीडीएन),, (via Email)

शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार,,

उच्च शिक्षा विभाग, U.5 अनुभाग, शास्त्री भवन,,

New Delhi, Delhi - 110001.

s.chander@gov.in

जानकारी हेतु।

3. डॉ. अर्चना ठाकुर, संयुक्त सचिव, , (via Email)

यूजीसी, , ,

बहादुर शाह जफर मार्ग,,

New Delhi, Delhi - 110001.

archana.ugc@nic.in

जानकारी हेतु।

4. कु. चन्द्र कांता भल्ला, अवर सचिव,, (via Email)

यूजीसी, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार,,

35 फिरोज शाह रोड, ,,

New Delhi, Delhi - 110001.

kantabhallा.ugc@nic.in

जानकारी हेतु।

5. डॉ. एस के कथरिया, प्रो. एवं प्रमुख,, (via Email)

विभाग डेंटल सर्जरी, ,

एस.एन. चिकित्सा महाविद्यालय,,

Agra, Uttar Pradesh - 282003.

katharia_sk@yahoo.com

जानकारी हेतु।

(Mukesh Kumar)
Deputy Secretary
Dental Council of India

CC:-

The President, Dental Council of India, New Delhi